बिहार सरकार
खेल विभाग

संकल्प

पत्रांक–01/स्था०–33(गठन)–01/2024/531 पटना, दिनांक–05.2/2025

विषय :– **खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन की स्वीकृति।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–37, दिनांक–09.01.2024 द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–44 के बाद एतद् नया क्रमांक–''45 खेल विभाग'' जोड़कर नया "खेल विभाग" का गठन किया गया है।

O/C

2. खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल निदेशालय के गठन से खेल विभाग के पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी।

3. खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना के कार्यालय का गठन होने से खेल से संबंधित अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा रख–रखाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजन एवं खिलाड़ियों के विकास एवं संवर्द्धन से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन

हो सकेगा। खेल निदेशालय के गठन का मुख्य उद्देश्य, कार्य एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

(i) विभाग के दिशा निर्देश में खेल अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं रख–रखाव के कार्यों को कराना।

(ii) खेल कार्यक्रमों को संचालित कराने में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सहयोग प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को संचालित कराने में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सहयोग प्रदान करना।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों (बिहार खेल विश्वविद्यालय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, राज्य खेल एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर, पाटलिपुत्र खेल परिसर, राजगीर खेल परिसर तथा नीतिगत मामले को छोड़कर) के स्थापना से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना।

(v) समय–समय पर विभाग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना।

4. खेल विभाग, खेल निदेशालय का प्रशासी विभाग होगा। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव खेल निदेशालय के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. निदेशक, खेल निदेशालय के विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. खेल निदेशालय के कार्यों एवं दायित्वों का समय–समय पर सम्परिवर्तन एवं निर्धारण का अधिकार खेल विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन की स्वीकृति दिनांक–04.02.2025 को मंत्रिपरिषद् की आहूत बैठक में मद संख्या–49 के अंतर्गत दी गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०–33(गठन)–01/2024/531 पटना, दिनांक–05.2/2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के

असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा की जाय।

Rajiv 4.2.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०–33(गठन)–01 / 2024 / 531 पटना, दिनांक–05.2 / 2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / माननीय मंत्री खेल के आप्त सचिव, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajiv 4.2.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था०–33(गठन)–01 / 2024 / 531 पटना, दिनांक–05.2 / 2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना / कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर / निदेशक, बिहार खेल अकादमी, पटना / निदेशक (खेल) / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / सहायक निदेशक, योजना / सहायक निदेशक, क्रीडा / सहायक निदेशक, युवा / सभी जिला खेल पदाधिकारी, बिहार / सभी उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बिहार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajiv 4.2.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव।